

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

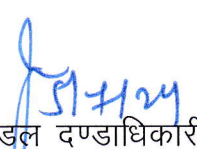
धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – गोपाल बड़ाईक....

बनाम

वाद सं0 28/2016

द्वितीय पक्ष – संदीप साहु।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	अभिलेख उपस्थापित:- थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 11/2018 दिनांक 08/05/2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) गोपाल बड़ाईक उम्र 46 वर्ष पिता स्व0सोभनाथ बड़ाईक (2) रोशन सुरीन उम्र 30 वर्ष पिता दानियल सुरीन (3) उत्तीन्द्र चिक बड़ाईक उम्र 24 वर्ष पिता पति चीक बड़ाईक ग्राम गंगड़ा थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) संदीप साहु उम्र 24 वर्ष पिता फिरू साहु (2) देवचंद्र साहु उम्र 20 वर्ष पिता बिरबल साहु सभी ग्राम गंगड़ा थाना बसिया जिला गुमला के बीच आपसी विवाद को लेकर वाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर वाद लाया गया था। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की कार्रवाई अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद नहीं होने के कारण आज दिनांक <u>05/11/24</u> को उक्त वाद के अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद किया जाता है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	